



पत्रांक

/ सं०प्र० /

दिनांक

कार्यालय आदेश

GH-3

परिषद की अम्बेडकरपुरम योजना सं० 3, कानपुर में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० जीएच-3 इस कार्यालय के पत्र संख्या 15575 दिनांक 27.12.2006 द्वारा मेसर्स अग्रवाल एसोशियेट्स प्रमोटर्स लि० के पक्ष में आवंटित किया गया था। संस्था द्वारा उक्त भूखण्ड का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात परिषद से दि० 08.07.2013 को रजिस्ट्री निष्पादित कराकर दिनांक 08.07.2013 को सब रजिस्ट्रार कानपुर से पंजीकृत कराते हुए दिनांक 12.09.2016 को फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री वीर सिंह पुण्डीर के हस्ताक्षरों से मेसर्स गीतिका बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर प्रवीन कुमार मिश्रा के पक्ष में दिनांक 28.06.2018 को विक्रय कर दिया। तदोपरान्त श्री प्रवीन कुमार मिश्रा द्वारा उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु निम्नलिखित औपचारिकताओं की पूर्ति की गयी है:-

- 1 विक्रेता/क्रेता का संयुक्त रूप से आवेदन-पत्र।
- 2 विक्रेता/क्रेता की प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर।
- 3 विक्रेता/क्रेता के रू० 10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र।
- 4 अन्तरण शुल्क 1 प्रतिशत रू० 1628000.00 दि० 27.08.2018 तथा जी०एस०टी० मद में रू० 293100.00 दि० 27.08.2018 को आन्धा बैंक, कानपुर में जमा किया गया।
- 5 विक्रेता/क्रेता की प्रमाणित रजिस्ट्री की छाया प्रतियाँ।

उपरोक्त प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० जीएच-3 मेसर्स अग्रवाल एसोशियेट्स प्रमोटर्स लि० से विक्रयोपरान्त मेसर्स गीतिका बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर प्रवीन कुमार मिश्रा के पक्ष में करते हुए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के भूखण्डों एवं भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम 1979 यथा संशोधित जून 1986 के नियम 42 यथा संशोधित 16 जुलाई 2016 के नियम 54 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा अन्तरित करने के आदेश इस शर्त के अधीन दिये जाते हैं कि यदि भविष्य में प्रस्तुत प्रपत्रों/तथ्यों में कोई प्रपत्र/तथ्य मिथ्या पाया जाता है तो किया गया अन्तरण निर्गत तिथि से स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा विधि सम्मत कार्यवाही भी की जायेगी एवं सम्पत्ति का विभाजन मान्य न होगा।

शेष नियम व शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

(केशव राम)

सम्पत्ति प्रबन्धक

पृ०सं०

2090

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक: 11-9-18

- 1 मेसर्स अग्रवाल एसोशियेट्स प्रमोटर्स लि०, अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीर सिंह पुण्डीर पुत्र श्री कुन्दन सिंह पुण्डीर, 10 न्यू राजधानी इन्वलेव विकास मार्ग, दिल्ली।
- 2 मेसर्स गीतिका बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर प्रवीन कुमार मिश्रा पुत्र स्व० प्रेम शंकर मिश्रा, 117/एच-1/383 प्रथम तल अस्थाना टावर पाण्डु नगर निवासी 312 लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी विकास नगर, कानपुर।
- 3 अधिशासी अभियन्ता नि०खं०-17/20, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

सम्पत्ति प्रबन्धक



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
 Construction Division 17
 U. P. Avas Evam Vikas Parishad
 OFFICE COMPLEX KESHAV PURAM, KALYANPUR, KANPUR



POSSESSION - CERTIFICATE

Inventory form for physical possession to Plot/House No. GROUP HOUSING PLOT No. GH-3
11/03 at Scheme No. 04/03 Kanpur.

With reference of letter No. 2606/EMO/KNP/ Dated 18-7-13

State Management Office, Office Complex Keshav Puram, Kalyanpur, Kanpur.

Possession taken of Plot/House No. GH-3 type PLOT
12/7/2013 in good condition with following fittings with plot area 6384.00 sqm

S. NO.	Particulars	Qty.
--------	-------------	------

PLOT AREA DETAILED

79.80 X 80.00 = 6384.00 SQM

HANDED OVER

(Signature)
 (Junior Engineer)

TAKEN OVER

(Signature)
 FOR AGARWAL ASSOCIATES (PROMOTERS) LTD.
 (Allottee)

AUTHORIZED SIGNATOR:

I do hereby declare, that I have taken the physical possession of Plot/House No. GH-3
 type PLOT at scheme No. 04/03 Kanpur area 6384.00 sqm. with all above
 fittings and from now I shall have the entire responsibility of have guard the above house on future if any shortage
 and than I shall have no claim against U. P. Avas Evam Vikas Parishad.


(Signature)
 Signature of Allottee

Name M/s Agarwal Associates Promoters
 Date 17.7.13 Sri Adish Agarwal Director
 Address S/o Late V.V. Agarwal
10 New Rajdhani Enclave
VIRAS Marg, Delhi-110092

Copy to : Executive Engineer, C.D. 17 U.P. Avas Evam Vikas Parishad Kanpur in two copy for necessary action.

(Signature)
 (Assistant Engineer,
 C.D. 17)

U. P. Avas Evam Vikas Parishad
 Kanpur.



उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
(सम्पत्ति प्रबन्ध)

फोन न० 2573518

आफिस काम्पलेक्स, केशवपुरम्, कल्याणपुर, कानपुर

पंजीकृत

पत्रांक

15575
सेवा में,

सं० प्र०/कानपुर/

दिनांक

27/12/00

मे० अगुवाल एसोसिएट्स ॥ प्रमो० ॥ लि०
भारत भवन
10, न्य राजधानी इनवेलव, विकास मार्ग
दिल्ली 110092

विषय:

परिषद की योजना संख्या-3, ॥ अम्बेडकरपुरम् ॥ में विकसित गुण
हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी 0एच0 - 3 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि दिनांक 19.10.06 को हुई नीलामी में आपके द्वारा गुण हाउसिंग भूखण्ड संख्या-जी००२२३०-3 के विस्तृत लगाई गयी उच्चतम बोली रुपये, 7083/= प्रति वर्गमीटर स्वीकार कर ली गयी है । यह प्रदर्शन-पत्र आपको परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किया गया है । कृपया प्रदृष्ट सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए उचित धनराशि निर्दृष्ट बैंक में जमा करने की व्यवस्था करें, धनराशि जमा करने का आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक क्लिअरेंस का निष्पादन कर उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर लें ।
गुण हाउसिंग
आवंटित भूखण्ड का विवरण निम्नवत है:-

1. गुण हाउसिंग भूखण्ड में समाविष्ट भूमि का क्षेत्रफल- 6384.00 वर्गमी०
2. गुण हाउसिंग भूखण्ड का मूल्य रुपये, 45217872.00 ॥ फुल होल्ड शुल्क सहित ॥
3. उच्चतम बोली का 10% धनराशि रुपये, 4521788.00 के विस्तृत जमा धनराशि रुपये, 4500000.00
4. दिनांक 31.3.07 तक देय उच्चतम बोली 45217872.00 का 10% धनराशि ॥ अग्रिम 10% धनराशि ॥ रु०, 4543576.00
5. दिनांक 30.6.07 तक उच्चतम बोली रुपये, 45217872.00 का 10% धनराशि रुपये, 4521788.00
6. दिनांक 30.9.07 तक उच्चतम बोली रुपये, 45217872.00 का 20% धनराशि रुपये, 9043575.00
- अग्रिम धनराशि रुपये, 22608936.00 पर 18% ब्याज लगाकर 72 मासिक किश्तों में देय होगी प्रत्येक किश्त की धनराशि रुपये, 515710.00 प्रतिमाह जो दिनांक 1.10.07 से लागू है ।
8. क्लिअर निष्पादन व्यय रुपये, 400/= दिनांक 30.9.07 जमा करना है ।

::2::

- नोट:- 1. क्रमांक 4,5,6,7, एवं 8 की धनराशि ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स विस्तार पटल योजना संख्या-1, कल्याणपुर कानपुर में निर्धारित तिथि तक जमा करनी है ।
2. मूखण्ड का ऋण प्राप्त करने हेतु परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप संलग्न पर फोटो युक्त, हस्ताक्षरित, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर, रुपये, 100/= का सादा स्टाम्प पेपर एवं तद समय शासन द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के अनुरूप लागू स्टाम्प पेपर डीड टंकित कराकर प्रस्तुत करना होगा ।
3. उच्चतम बोली के अनुरूप मूखण्ड के मूल्य का 50% धनराशि जमा करने के उपरान्त ऋण प्रदान किया जायेगा ।
4. किसी भी देय धनराशि के बिलम्ब से भुगतान करने पर 24% की दर से ब्याज देय होगा ।
5. दिनांक 31.10.07 तक देय धनराशि एवं बॉधित औपचारिकतायें पूर्ण न करने पर दिनांक 1.11.07 से रुपये, 50.00 प्रतिदिन की दर से बिलम्ब शुल्क देय होगा ।

भारतीय

उप आवास आयुक्त
कृते आवास आयुक्त